

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.) INDIA
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ A Central University)



www.dhsgsu.edu.in

Email: arexam@dhsgsu.edu.in

Phone & Fax- 07582-297108

क्रमांक / परीक्षा / नामांकन / 2025-26 / 7096

09 अक्टूबर 2025
विश्वविद्यालय से
संबद्ध महाविद्यालयों के लिए

// अधिसूचना //

1. विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की सत्र 2025-26 की ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। पंजीयन उपरांत स्नातक बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., बीसीए., बीबीए., एलएल.बी. (त्रिवर्षीय), बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स), पीजीडीसीए प्रथम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर एम.ए., एम.कॉम., एम.एससी., एम.सी.एम., प्रथम सेमेस्टर के नामांकन शुल्क रुपये 50/- के साथ दिनांक 10 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक MP-Online Portal के माध्यम से होंगे।
2. नये प्रवेशित छात्र/छात्राओं का नामांकन शुल्क MP-Online Portal के माध्यम से जमा होगा। प्रदेश से बाहर के छात्रों को रुपये 200/- इमीग्रेशन शुल्क देय होगा।
3. विलंब शुल्क रुपये 150/- के साथ 22 अक्टूबर 2025 तक पंजीयन स्वीकार किये जाएंगे। महाविद्यालय द्वारा पंजीयन उपरांत Online Verification एवं महाविद्यालय की G2G Login से Approve कर पंजीयन फार्म की हार्डकापी विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी।
4. नामांकन फार्म की हार्डकापी के साथ प्रत्येक छात्र की 10th, 12th की अंकसूची, माइग्रेशन, फीस रसीद, महाविद्यालय की प्रवेशित छात्रों की सूची, संबद्धता एवं निरन्तरता संबंधी प्रपत्र प्राचार्य, द्वारा कवरिंग लेटर के साथ दिनांक 24 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समयावधि में नामांकन फॉर्म के साथ अंकसूची, माइग्रेशन, फीस रसीद आदि जमा न करने की स्थिति में प्रवेशित छात्रों के प्रवेश निरस्त किये जा सकते हैं।

आदेशानुसार,

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्राचार्य, संबद्ध महाविद्यालय, डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर- इस आशय के साथ कि अपने महाविद्यालय के छात्रों को सूचना पटल, एसएमएस, एवं अन्य माध्यम से अवगत कराने हेतु।
2. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
3. प्रभारी निदेशक महाविद्यालयीन विकास परिषद (DCDC) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अनुभाग अधिकारी परीक्षा (सामान्य/गोपनीय) को सूचनार्थ।
5. कक्षा सहायको को सूचनार्थ।
6. आई.टी. सेल-कृपया वि.वि.की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. C.O.O. MP Online. को सूचनार्थ।
8. संबंधित नस्ती।

प्रभारी अनुभाग अधिकारी (परीक्षा)